तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12-7-22	पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) स्वीकार किया जाता है। आदेश सुनाया गया। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी लाखेरी जिला बून्दी	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी,जिला बून्दी राज0

47 / प्रा0प0 / 2020
दायरा दिनांक 11.09.2020

पीठासीन अधिकारी
श्री युगांतर शर्मा(RAS)

बउनवान

1. हसंराज आ0 स्व0 प्रहलाद जाति मीणा निवासी पापडी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0। —प्रार्थी

बनाम

1. रामविलास आ0 बजरंगलाल जाति मीणा निवासी पापडी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।
2. शिवप्रसाद आ0 बजरंगलाल जाति मीणा निवासी पापडी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।
3. बनवारी आ. गजानन्द जाति मीणा निवासी खराधता तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।
4. शाखा प्रबंधक आईसीआईसीआई बैंक शाखा लाखेरी जिला बून्दी राज0।
5. शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बडौदा बैंक शाखा लाखेरी जिला बून्दी राज0।
6. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार साहब इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना—पत्र अर्न्तगत धारा 251 क आर0टी0एक्ट।

उपस्थित :—1.श्री अब्दुल सत्तार एडवोकेट(प्रार्थी)।
2.श्री आरिफ अली एडवोकेट (अप्रार्थीसं0 1,2)
3.श्री बालालाल बीडा एडवोकेट (अप्रार्थी सं0 3)

—: निर्णय :— दिनांक :— 12.07.2022

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

Scanned with CamScanner

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र अर्न्तगत धारा 251 क में पेश कर कथन किया कि ग्राम पापडी स्थित उसकी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 332,338,696/1185, 775/1193, 776, 777, 778, 779, 922,923, 925 कुल किता 11 कुल रकबा 9.16 हैक्ट0 में आने जाने के लिए अपने पिता के समय से ही रास्ता ख0सं0 681 व 682 के मध्य स्थित मेड से होकर है इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है।ख0सं0 681के खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 व 2 तथा खसरा संख्या 682 के खातेदार अप्रार्थी सं0 3 ने अपनी खसरा सीमा पर तारबाडा लगा दिया जिससे प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने का रास्ता उपलब्ध नही है इस कारण उसकी खातेदारी भूमि पडत रह जाने की स्थिति में आजायेगी इसलिए प्रार्थी को उसके ग्राम पापडी स्थित खातेदारी भूमि में पहुंच हेतू 10–12 फुट चौडा रास्ता ग्राम खरायता के ख0सं0 681 व 682 के मध्य मेड के सहारे–सहारे से उपलब्ध कराया जावे।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब करने पर अप्रार्थीगण सं0 1 व 2 ने जवाब पेश किया जिसके अनुसार प्रार्थी ग्राम पापडी स्थित अपनी खातेदारी भूमि में कृषि कार्य करने हेतू ग्राम पापडी ख0सं0 916 राजस्व रिर्कोड में गैर मुमकीन रास्ता दर्ज है।खसरा सं0 916 प्रार्थी की खातेदारी ख0सं0 925 से लगवा होता हुआ अपनी खातेदारी भूमि में आता जाता है।प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आने जाने के लिए रास्ता कभी भी उनकी (अप्रार्थीगण) की खातेदारी भूमि को सीधे मेगा हाइवे से जोडकर उसकी कीमत बढाना चाहते है एवं प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति पहुंचाना चाहते है एवं इसलिए प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी सं0 3 ने जवाब पेश किया उसके अनुसार प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि ख0सं0 925 में इससे लगवा रास्ता 916 (सरकारी रिर्कोडेड रास्ता) से आता जाता रहा है। प्रार्थी की अन्य खातेदारी आराजी ख0सं0 925 से गैर मुमकीन रास्ता 916 से जुडे है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर पहुंच के लिए ख0सं 772/682 की मेड का कभी भी उपयोग नही किया गया।प्रार्थी ख0सं0 772/682 को बिगाडने के लिए नया रास्ता बनाना चाहते है एवं अपनी भूमि को कोटा–लालसोट मेगा हाइवे से जोडकर अपनी भूमि की कीमत बढाना चाहता है।इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

Scanned with CamScanner

अप्रार्थी सं0 4 लगायत 5 ने बावजूद तलवी व सूचना जवाब पेश नही किया इसलिए उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।अप्रार्थी की आपत्ति के सबंध में पटवारी हल्का से राजस्व रिर्कोड व मौके की रिर्पोट लेकर शामिल पत्रावली की।पटवारी हल्का से राजस्व रिर्कोड व मौके की रिर्पोट ग्राम पापडी स्थित ख0सं0 916 राजस्व रिर्कोड अनुसार गैर मुमकीन रास्ता दर्ज है परन्तु यह रास्ता ख0सं0 919 जो कि किस्म गैर मुमकीन नहर है जो कि मौके पर लगभग 28 फुट है पर आकर बंद हो जाता है।यह रास्ता ख0सं0 924 व 925 तक नही जाता है राजस्व नक्शे में ख0सं0 925 के पास स्थित ख0सं0 990 गैर मुमकीन रास्ता जो कि आगे जाकर अन्य की खातेदारी में बंद हो जाता है एवं इसके आगे दक्षिण की तरफ फिर से गेर मुमकीन नहर आ जाती है इस प्रकार खसरा सं0 990 गेर मुमकीन रास्ता प्रार्थी को किसी भी मूल रास्ते जो कि गांव आने जाने के उपयोग में आता है से नही है जोडता है।प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आने जाने का रास्ता पूर्व में अन्य की खातेदारी में से प्रस्तावित रास्ता के अलावा अन्य कोई भीं न्यूनतम दूरी रास्ता नही है।

पत्रावली में सलंग्न दस्तावेजात का अवलोकन कर वह उभयपक्ष विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने एवं मनन करने पर पाया कि प्रार्थी की ग्राम पापडी स्थित कृषि भूमि ख0सं0 332, 338, 696/1185, 775/1195, 776, 777,778, 779,922,923, 925 कुल किता 11 का सह खातेदार काश्तकार है एवं उसके सहखातेदारी कब्जे काश्त की भूमि तक पहुंच का लघुतम दूरी का रास्ता अप्रार्थीगण बनवारी पुत्र गजानंद की खातेदारी भूमि ख0सं0 772/682 व रामविलास ,शिवप्रसाद पिता बजरंगलाल जाति मीना की सहखातेदारी भूमि 794/681 में से होकर ही है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है एवं संदर्भित ख0सं0 922, 923 इत्यादि पर प्रार्थी कृषि कार्य हेतू पापडी स्थित सहखातेदारी कब्जे काश्त की भूमि पर आने जाने के लिए अप्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि वाके ग्राम खरायता के ख0सं0 794/681 की मेड के सहारे 3 मीटर चौडा एवं ख0सं0 772/682 की मेड के सहारे–सहारे 1 मीटर चौडा व दोनो खसरा नम्बरान में 146 मीटर लम्बा व 4 मीटर चौडा रास्ता कायम किया जाता है अप्रार्थीगण सं0 1 व 2 की खातेदारी भूमि में. सें रास्ता में प्रभावित कृषि भूमि का कुल क्षैत्रफल 438 वर्गमीटर (0.0438हैक्ट0) प्रचलित डी0एल0सी दर से गणना करने पर गुणित राशि की दुगनी राशि 2,44,869 रूपये एवं अप्रार्थी सं0 3

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

Scanned with CamScanner

बनवारी पु. गजानन्द जाति मीणा की खातेदारी भूमि ख0सं0 772/682 में से रास्ता प्रभावित देय कुल भूमि 146 वर्गमीटर(0.0146हैक्ट0) के बदले प्रचलित डी0एल0सी0 दर से गणना कर गुणीत राशि की दुगनी राशि 98,290 रूपये का भुगतान प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को जर्ये डी0डी0 किये जाने की शर्त पर रास्ता प्रदत्त किया जाता है प्रदत्त रास्ते के उपयोग में आने वाली भूमि का रकबा अप्रार्थीगण की खातेदारी में से कम कर राजस्व अभिलेख में पृथक ख0न0 देते हुए सार्वजनिक रास्ता दर्ज किया जावे एवं राजकीय खाते में दर्ज किया जाने का आदेश पारित किया जाता है।

तहसीलदार इन्द्रगढ को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा उपरोक्त राशि जमा कराने पर अप्रार्थीगण 1 व 2 की रास्ते में अवाप्त भूमि ख0सं0 794/681 की 146X3 = 438 वर्गमीटर की प्रतिकर राशि 2,80,828 रूपये एवं अप्रार्थी सं. 3 की रास्ते में अवाप्त भूमि ख0सं0 772/682 146X1 = 146 की प्रतिकर राशि 76,940 रूपये जरिये डी0डी0 अदा करने पर प्रार्थी को प्रदत्त किया रास्ता राजस्व अभिलखों में रास्ते के रूप में दर्ज किया जावे उक्त रास्ते की भूमि का उपयोग सार्वजनिक होगा।पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय दिनांक **12.07.2022** को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी(बून्दी)

Scanned with CamScanner